(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /II/2017 जिला–दतिया

प्र/निगरानी/दतिया/भू-25/2017/2717

सुरेश पुत्र श्री सुत्ती अहिरवार, निवासी ग्राम रिछरा, तहसील व जिला दतिया (म.प्र.) --- आवेदक

विरूद्ध

1– चर्तुभुज पुत्र श्री नन्दकिशोर कुशवाह, निवासी– सेवढा चुंगी, दतिया व जिला दतिया (म.प्र.)

2– मध्य प्रदेश शासन

--अनावेदकगण

21.8.17

21-8-17

न्यायालय तहसीलदार, तहसील दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अ-9 /2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवदेक की ओर से आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील दतिया का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील दतिया द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

21.8.17

3– यहकि, दतिया गिर्द में स्थित आराजी सर्वे नम्बर 12/21 रकवा 0.979 के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी आवेदक सुरेश पुत्र श्री सुत्ती अहिरवार है। इनके द्वारा उक्त आराजी के अक्श में मौके के अनुसार तरमीम कराये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील दतिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो प्रकरण क्रमांक 06/अ–9/2016–17 पर पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 22.03.2017 से स्वीकार किया गया।

4– यहकि, आवेदक द्वारा जो आवेदन पत्र भूमि की तरमीम कराये जाने बाबत प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर तहसीलदार तहसील दतिया द्वारा राजस्व

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निग./दतिया/भू.रा./2017/2717 जिला दतिया

सुरेश विरुद्ध चर्तुभुज एवं म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-06/अ-9/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 09/08/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 3/5/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	